संख्या:95/2755जेएल/22-3-14-100(83)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 09 दिसम्बर, 2014***

विषय: जिला कारागार-बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अजीत कुमार चौबे पुत्र स्व0 कमलाकान्त चौबे, निवासी जनपद-बलिया को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-31338/सामा-1(3)/25भाग-1।/आजमगढ़ मं0/2008, दिनांक 27-10-2014 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के आलोक में, उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार-बलिया में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अजीत कुमार चौबे पुत्र स्व0 कमलाकान्त चौबे को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या:95/2755जेएल(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, बलिया।
2. पुलिस अधीक्षक, बलिया।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, बलिया/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in